बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

संचिका संख्याः–ल0सिं0मो0–JJHA विविध योजना–350/2019 | 246 (मु) पटना, दिनांकः– 20-06-2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियंता (मु0),
अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल............।
सभी अधीक्षण अभियंता,
लघु सिंचाई अंचल................।
सभी मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग.............।

विषयः– **जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

जल–जीवन–हरियाली अभियान के अन्तर्गत योजनाओं का कार्य सामान्यतः 15 जून 2020 तक कराने का निदेश सभी कार्य प्रमंडलों को दिया गया है।

इस वर्ष की विशेष परिस्थिति में 25 मार्च 2020 से 20 अप्रैल 2020 तक देशव्यापी लॉकडाउन के कारण कार्य बंद रहे हैं। फलस्वरूप अनेंकों योजनायें अधूरी रह गई हैं। कुछ योजनाओं में मिट्टी का कार्य, कुछ योजनाओं में स्ट्रक्चर का कार्य अधूरा है एवं कुछ योजनाआं में दोनों ही कार्य अवशेष है।

2. इस उत्पन विशेष परिस्थिति में अधिकांश योजनाओं को पूर्ण कराने के प्रयोजन से निम्नवत् निर्देश दिए जाने प्रस्तावित है–

(i) जिन योजनाओं में अभी पानी नहीं भरा है, उन योजनाओं का कार्य 30 जून 2020 तक जारी रखा जाय।

(ii) जिन योजनाओं में कार्य कराने के दरम्यान पानी भर जाय वैसी योजनाओं का कार्य उसी स्थिति में रोक दिया जाय। इन योजनाओं पर वर्षात् के बाद कार्य कराने का निर्णय विभाग द्वारा लिया जायगा।

(iii) संरचनाओं का कार्य 30 जून 2020 के बाद भी जारी रखा जा सकता है बशर्ते नींव का कार्य, पानी आने के पूर्व करा लिया हो।

(iv) कराये गये कार्यां के लिए बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता कंडिका 230, 231, बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका 244 से 247 तथा बिहार वित्तीय नियमावली की कंडिका 257 अनिवार्य रूप से पालन किया जाय। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक तीन दिनों पर Post Level लेकर मापी, मापी पुस्त में अंकित की जाय।

(v) जिन योजनाओं में वृक्षारोपण का प्रावधान है, उसकी तैयारी जारी रहेगी और 09 अगस्त 2020 को राज्यव्यापी आयोजन के दौरान वृक्षारोपण किया जायगा।

3. कार्यपालक अभियंता की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अधिक से अधिक योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण कराने का प्रयास करें। जिन योजनाओं में जल जमाव के कारण कार्य कराना संभव नहीं है, उन योजनाओं में अंतिम मापी का सत्यापन सहायक अभियंता द्वारा करना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन

20/6/2020

अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1246 (मो0) /पटना, दिनांक– 20-06-2020

प्रतिलिपि– विषेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20/6/2020

अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

ज्ञापांक– 1246 (मो0) /पटना, दिनांक–20-06-2020

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20/6/2020

अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण
लघु जल संसाधन विभाग, पटना